2017/00376

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री श्याम सुन्दर गोयल पुत्र स्व. श्री मदनचन्द्र अग्रवाल निवासी 16–बी ब्लॉक वार्ड नं. 7 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर : ब ना म : सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (राजस्व), लूनकरणसर प्रथम सूचना अपील संख्या 215/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट,2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.11.17	**: निर्णय :** 1. उभयपक्ष हाजिर नहीं। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 10.7.17 में वर्णित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), लूनकरणसर से चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (राजस्व), लूनकरणसर द्वारा जवाब पेश किया गया कि प्रार्थी द्वारा दिया गया प्रार्थना–पत्र प्रश्नगत व संकलात्मक श्रेणी का होने के कारण प्रार्थी को प्रत्युत्तर भिजवा दिया गया था कि आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नगत व संकलात्मक है, जो कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या 10.2.2008 आई.आर. दिनांक 12.6.2008 के अनुसार सूचना का सृजन कर भिजवाई जाना अधिनियम के कार्यक्षेत्र के बाहर है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), लूनकरणसर द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को प्रेषित जवाब/सूचना के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी/अपीलान्ट के आवेदन–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के आवेदन–पत्र में सात नामों को वर्णित करते हुए उनके नाम से राजस्व रेकर्ड में तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर के क्षेत्राधिकार में जितने भी गांव आते है, उनमें कृषि भूमि है की जमाबंदी/अन्य रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का निवेदन किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से इस आशय की पुष्टि होती है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना वृहद एवं संकलात्मक होने के कारण सृजन कर दी जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाना हम न्यायोचित नहीं पाते है। 5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 27.11.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो 27/11 (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official